भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 834

जिसका उत्तर 07 फरवरी, 2022/18 माघ, 1943 (शक) को दिया गया

बैंक एनपीए

834. श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) में एनपीए और अशोध्य ऋण के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के बीच अशोध्य ऋणों के वितरण के अनुपात का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा ऋण व्यापकता के मुद्दे से निपटने और यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं कि ये ऋण अशोध्य ऋण में नहीं बन जाएं; और

(घ) क्या सरकार का यह विचार है कि बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई निरीक्षण रिपोर्ट का खुलासा करना चाहिए और यदि हां, तो बैंकों को ऐसा करने के लिए राजी करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत कराड)

(क): वैश्विक परिचालन पर भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के आंकड़ों के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की सकल गैर अनर्जक आस्तियां (जीएनपीए) 31.3.2019 को 9,33,779 करोड़ रुपए (9.07% का जीएनपीए अनुपात) से घटकर 30.9.2021 को 8,00,463 करोड़ (6.93% का जीएनपीए अनुपात) रह गई है। इसके अलावा, जमाराशि स्वीकार करने वाली एनबीएफसी और जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी का जीएनपीए 30.9.2021 को 1,91,413 करोड़ रूपये (6.87% का जीएनपीए अनुपात) था।

(ख): आरबीआई की सूचना के अनुसार, एससीबी के जीएनपीए के अनुपात की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) का जीएनपीए 31.3.2019 को 79.2% से घटकर 31.3.2020 को 75.7% से 31.3.2021 को 73.8% हो गए हैं और 30.9.2021 को 72.3% हो गए हैं, जबकि एससीबी के अनुपात की तुलना में निजी क्षेत्र के बैंकों (पीवीबी) के जीएनपीए 31.3.2019 को 19.4% से बढ़कर 31.3.2020 को 23.0% से 31.3.2021 को 24.2% हो गए हैं और 30.9.2021 को 24.9% हो गए हैं।

(ग): सरकार और आरबीआई ने अर्थव्यवस्था में ऋण की पैठ बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं -

i. प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के अंतर्गत खोले गए 44.51 करोड़ खाते, वित्तीय सेवाओं अर्थात् एक बुनियादी बचत और जमा खातों, विप्रेषण, ऋण, बीमा, पेंशन तक किफ़ायती तरीके से पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन की योजना है;

ii. पात्र पीएमजेडीवाई खाताधारकों को 10,000 रुपये तक की सीमा की ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रदान की गई;

iii. कोविड-19 महामारी से प्रभावित गरीब रेहड़ी पटरी वाले (स्ट्रीट वेंडरों) को उनकी आजीविका गतिविधियों को फिर से शुरू करने में मदद करने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्म निर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना ने 32.69 लाख स्ट्रीट वेंडरों को 31.1.2022 तक 3,364 करोड़ रुपये की क्रेडिट राशि का उपयोग करने में सक्षम बनाया है;

iv. स्वरोजगार कार्यक्रम के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) और दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) योजनाओं के तहत ऋण की बढ़ी हुई पहुंच का संचालन, जिसके तहत 78,66,199 और 16,63,704 लाभार्थियों को क्रमशः पिछले तीन वित्तीय वर्षों में ऋण सुविधाएं प्रदान की गई हैं;

v. कृषि, सूक्ष्म और लघु उद्यमों और आवास को मांग उधार देने के लिए एनबीएफसी-सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों (एमएफआइ) के अलावा गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों (एनबीएफसी) को बैंक ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के रूप में वर्गीकरण के लिए पात्र बनाया गया है;

vi. संस्थागत ऋण की पहुंच बढ़ाने के लिए ऋण का डिजिटलीकरण;

क. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), आवास ऋण, व्यक्तिगत ऋण और व्यक्तियों को ऑटो ऋण के लिए ऋण की सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान करने के लिए *PSBloansin59minutes.com* के माध्यम से डिजिटल ऋण की शुरुआत को संपर्क रहित बनाया गया है;

ख. एमएसएमई के लिए ऑनलाइन बिल डिस्काउंटिंग को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के माध्यम से प्रतिस्पर्धी आधार पर सक्षम किया गया है, जो ट्रेड रिसीवबल डिस्काउंटिंग प्रणाली (ट्रेड्स) प्लेटफॉर्म पर शामिल है;

ग. अंतिम रूप से स्वचलित डिजिटल लेंडिंग को अप्रत्याभूत व्यक्तिगत ऋण (पांच पीएसबी में), सूक्ष्म उद्यमों (शिशु मुद्रा, पांच पीएसबी में) को ऋण और एमएसएमई (तीन पीएसबी में) को ऋण के नवीकरण के लिए बड़े पीएसबी में प्रारंभ किया गया है;

घ. ग्राहकों की जरूरत से प्रेरित, एनालिटिक्स-बेस क्रेडिट ऑफर को प्रोत्साहन दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2020-21 में सात बड़े पीएसबी द्वारा 49,777 करोड़ रुपये के नए खुदरा ऋण का वितरण किया गया है; और

ड. प्रवर्तन काल (टीएटी) में सुधार लाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में ऋण प्रबंधन प्रणाली और केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्रों की स्थापना।

vii. छोटे और सीमांत किसानों के लिए समायोजित निवल (नेट) बैंक क्रेडिट (एएनबीसी) के 10% का विशिष्ट लक्ष्य सभी वाणिज्यिक बैंकों के लिए निर्धारित किया गया है, जिसे छोटे और सीमांत किसानों के

ऋण के प्रवाह को सुगम बनाने के लिए 2020-21 से चार साल की अवधि के चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा; और

viii. सरकार ने बैंकों द्वारा देश भर में विशेष शिविरों के माध्यम से पात्र उधारकर्ताओं को ऋण उपलब्ध कराने के लिए 16.10.2021 को ऋण पहुँच कार्यक्रम शुरू किया, जिसके तहत बैंकों से मिली जानकारी के अनुसार 26.11.2021 तक 94,063 करोड़ रुपये की कुल ऋण राशि स्वीकृत की गई है; तथा

ix. उचित लागत/कम दर पर कृषि ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और निजी क्षेत्र के बैंकों (आरबीआई के माध्यम से प्रतिपूर्ति), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों (नाबार्ड के माध्यम से प्रतिपूर्ति) के माध्यम से 3 लाख रुपये तक के अल्पावधि फसल ऋणों के लिए ब्याज अनुदान योजना (2%) लागू की जा रही है।

इसके अलावा, नियमित पुनर्भुगतान को बढ़ावा देने और उन ऋण खातों को गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) में बदलने से रोकने के लिए कई उपाय किए गए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं –

i. गलत बयानी और धोखाधड़ी के जोखिम को कम करने के लिए मंजूरी के चरण में ही डेटा स्रोतों में व्यापक सावधानी बरतने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में तीसरे पक्ष के डेटा स्रोतों का उपयोग करना;

ii. आरंभिक दबाव के संकेतों की शीघ्र पहचान के लिए खातों का विशेष उल्लेखित खातों (एसएमए) के रूप में वर्गीकरण, जिसके परिणामस्वरूप ऋण दायित्वों की समय पर अदायगी में चूक होती है ताकि बैंकों को एनपीए में अपनी संभावित गिरावट को रोकने के लिए समय पर सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करने में सक्षम बनाया जा सके;

iii. बैंकों में दबाव का पता लगाने और एनपीए में गिरावट को कम करने के लिए समयबद्ध सुधारात्मक कार्यों के लिए तीसरे पक्ष के डेटा और कार्यप्रवाह का उपयोग करके ~80 ईडब्ल्यूएस ट्रिगर के साथ व्यापक, स्वचालित अर्ली वार्निंग सिस्टम (ईडब्ल्यूएस) का आरंभ;

iv. प्रधान मंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत मौजूदा ऋण के समय पर या शीघ्र पुनर्भुगतान के साथ एक बढ़ी हुई सीमा के साथ कार्यशील पूंजी ऋण के अगले चक्र के लिए पात्रता को जोड़ने के माध्यम से नियमित पुनर्भुगतान को प्रोत्साहित करना; तथा

v. अपने ऋण खातों में उधारकर्ताओं के पुनर्भुगतान व्यवहार की सूचना क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) को दी जाती है, और बैंक इन सूचनाओं को क्रेडिट मूल्यांकन और उधारकर्ताओं को आगे ऋण स्वीकृत करने संबंधी निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करते हैं।

(घ): आरबीआई की जानकारी के अनुसार, सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के तहत आरबीआई द्वारा आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 11 और अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार विशिष्ट वर्ष की निरीक्षण रिपोर्ट के संबंध में पर्यवेक्षी प्रक्रिया पूरी होने के बाद बैंकों की निरीक्षण रिपोर्ट का खुलासा किया जाता है।

*****